न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 75/2011 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. रामस्वरूप
2. दौजी
3. कल्याण सिंह } पुत्रान मंगला
4. हुक्म सिंह
5. लक्ष्मण सिंह
6. धर्म सिंह पुत्र रामलाल
7. भूप सिंह पुत्र दूल्हेराम
8. नत्थी सिंह } पुत्रान रघुनाथ
9. देवी सिंह

जाति कछवाह ठाकुर निवासी अजीत नगर मजरा भैंसा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गणेशी } पुत्र ग्यासी
2. वासुदेव
3. पूरन } पुत्रान पन्नी
4. सूखा

निवासी अजीत नगर

5. मुस0 भोलो वेवा
6. श्यामलाल
7. रामभरोसी } पुत्रान
8. बिज्जे

बाबू, निवासी खुडासा

9. पूरना } पुत्रान भीका, निवासी अजीत नगर।
10. पीता
11. राज0 सरकार जरिये श्री जिला कलक्टर, भरतपुर।

जाति कछवाया तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दि0 26.10.2009 एवं 27.11.09 प्रकरण सं0 184/2008 उनवान रामस्वरूप बनाम गणेशी वगैरह।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलांट।
2. वकील रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–08.11.2017

1. यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 26.10.2009 एवं 27.11.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय

सहायक कलक्टर, उच्चैन के समक्ष एक वाद इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 9 वाके ग्राम खुडासा, अपीलाण्ट/वादीगण एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 13 की पैतृक सम्पत्ति है, जिससे रैस्पो0 प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 8 का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है एवं ना ही है। उक्त विवादित आराजी में अपीलाण्ट/वादीगण एवं रैस्पो0 प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 13, अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। किन्तु रैस्पो0 प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, 04, के पिता तथा रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 05, 06, 07, 08 ने राजस्व कर्मियों से साज कर, उक्त आराजीयात में अपना नाम कुछ हिस्से में खातेदार के रूप में दर्ज करवा लिया है एवं उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08, विवादित आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं व अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण व रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 13 को शान्ति से काश्त नहीं करने देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 8 के हो रहे गलत इन्द्राजों को कलमजद करके, अपीलाण्ट/वादीगण 01 लगायत 05 को 1/3 भाग, रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 10,11 को 1/6–1/6 भाग व रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 12, 13 को 1/3 भाग में राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किये जाने एवं रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री क्रमशः 26.10.2009 एवं 27.11.2009 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत हैं, जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि रैस्पो0 के पूर्वजों की मिल्कीयात की ना होकर अपीलाण्ट के पूर्वजों की थी तथा रैस्पो0 को कभी भी शिकमी काश्त पर नहीं उठाई थी। यदि कोई व्यक्ति शिकमी दर्ज था, तो उसे वह तथ्य स्वयं सिद्ध करना था। किन्तु रैस्पो0 द्वारा अपने जबाब दावा एवं बयानों में एवं अन्य प्रकार से कोई तथ्य, प्लीड नहीं कर पाये हैं, उन्होनें ना तो कब्जे का स्त्रोत सिद्ध किया है और ना ही प्लीड किया कि उन्होनें शिकमी काश्त पर किस मालिक से भूमि प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में मात्र शिकमी एवं बाद में उनकी खातेदारी दर्ज हो जाने से वह कानूनन खातेदार नहीं माने जा सकते हैं एवं ना ही उनका मौके पर कब्जा माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 अपने कब्जे का उदगम साबित नहीं कर पाये हैं एवं ना ही उनका मौके पर कब्जा माना जा सकता है। अतः वह टीनेंट की परिभाषा में भी नहीं आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु को नजरंदाज करते हुए दावा अपीलाण्ट/वादीगण खारिज करने में कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट/वादी ने धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की रिलीफ मॉगी थी, जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी भी कायम की गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस अनुतोष को ना देने का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में नहीं लिखा है व अपीलाण्ट/वादीगण का दावा खारिज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट/वादीगण को विभाजन का पूरा अधिकार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को प्राथमिक डिक्री पारित कर विभाजन की अंतिम डिक्री नियमानुसार पारित करने के आदेश देने चाहिये थे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री अवैधानिक एवं काबिल खारिजी हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावें को तय करने हेतु दादरसी सहित 9 तनकियात कायम की गई हैं। जिनमें तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट/वादी के दावे को साबित करने के लिए आधारभूत है, शेष तनकियों के निष्कर्ष, तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, बयानात गवाह की विस्तार से विवेचना करते हुए, अपीलाण्ट/वादी के विरूद्ध निर्णित की है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2012, 2016 संवत 2041–44, 2061–64 में अपीलाण्ट/वादीगण व रैस्पो0/प्रतिवादीगण 10 लगायत 13 के पूर्वज 3/4 भाग व रैस्पो0/प्रतिवादीगण 01 लगायत 8, 1/4 भाग में खातेदार अंकित हैं। जिससे तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि विवादित आराजी में संवत 2012 से निरन्तर रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 8, 1/4 हिस्से में खातेदार रहे हैं। अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा ऐसा कोई तर्कसंगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि वे रैस्पो0/ प्रतिवादीगण के उक्त खातेदारी के इन्द्राज को विधि विरूद्ध साबित कर सकें। चूंकि तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट/वादी के विरूद्ध पाई गई है एवं शेष तनकियों के निष्कर्ष तनकी संख्या 01 से प्रभावित होते हैं, अतः शेष तनकियों की व्याख्या किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तनकियों की व्याख्या में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

5. जहॉ तक प्रश्न, धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुतोष का है। अपीलाण्ट/वादीगण ने बॅटवारे का अनुतोष केवल रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 13 के मध्य चाहा गया है। चूंकि अपीलाण्ट/वादीगण अपने वाद को साबित नहीं कर पाये हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय में उनका दावा खारिज हुआ है, अतः अपीलाण्ट/वादीगण का रैस्पो0 /प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 13 के मध्य, अन्य प्रतिवादीगण के हिस्से को नकारते हुए विवादित आराजी का बॅटवारा विधिसम्मत नहीं है। अपीलाण्ट/वादीगण, विवादित आराजी का सभी पक्षकारों के मध्य, बॅटवारे बाबत् वाद पृथक से पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय, सकारण व विवेचनात्मक है। लिहाजा हम अपील खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2009 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official